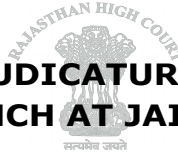




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 135/2026

1. Anita Devi Wife Of Shri Radheyshyam Nirwan, Resident Of Plot No. 52, Shakti Nagar, Gajsinghpura, Ajmer Road, Jaipur, (Rajasthan).
2. Ayush Nirwan Son Of Shri Radheyshyam Nirwan, Aged About 22 Years, Resident Of Plot No. 52, Shakti Nagar, Gajsinghpura, Ajmer Road, Jaipur, (Rajasthan).

-----Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.p.
2. Bhupendra Sharma Son Of Shri Ashok Sharma, Aged About 22 Years, Resident Of Natoj, Police Station Kherli, District Alwar (Raj). At Present Tenant Plot No. 52, Shakti Nagar, Gajsinghpura, Ajmer Road, Jaipur (Rajasthan).

-----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Indapal Jakhar, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP Ms. Vaishnavi, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

22/04/2026

1. याची-अभियुक्तगण की ओर से यह याचिका अंतर्गत धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत परिवादी-प्रत्यर्थी की ओर से पुलिस थाना-श्याम नगर, जयपुर शहर (दक्षिण) में पंजीबद्ध करवायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-676/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 316(2), 61(2) बी.एन.एस. को निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।
2. विद्वान अधिवक्ता याची-अभियुक्तगण का निवेदन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो आरोप लगाये गये हैं, वे निरोधार हैं, विकल्प में यह भी निवेदन किया कि आरोपों को सही भी माना जावे तब भी विवाद सिविल प्रकृति का है, जिसे आपराधिक रंग दिया गया है, जो कानूनी व न्यायिक प्रक्रिया का



दुरुपयोग है और इस आधार पर वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

3. विद्वान अधिवक्ता परिवादी/अयाची द्वारा उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि परिवादी द्वारा दी गई राशि को अभियुक्त पक्ष द्वारा लौटाने से इनकार कर दिया गया है, जो धोखाधड़ी का मामला है।

4. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

5. वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट के माध्यम से परिवादी द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक 15.11.2025 को वह जिस वाहन में जा रहा था, वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इस दुर्घटना से पूर्व उसके द्वारा मकान मालिक व उसकी पत्नी अर्थात् अभियुक्तगण को 5,85,000/-रुपये नकद रखने के लिए दिये थे, जो बाद में लौटाने से इनकार कर दिया। स्पष्ट है कि यह मामला पूर्णतः व शुद्धतः सिविल प्रकृति का है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अनावश्यक दबाव बनाने हेतु दर्ज करवाई गई है। सिविल मामले को आपराधिक रंग दिया गया है, जो स्पष्टतः कानूनी व न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

6. संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए याची-अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह याचिका स्वीकार कर याची-अभियुक्तगण के विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-676/2025 पुलिस थाना-श्याम नगर, जयपुर शहर (दक्षिण) को निरस्त किया जाता है तथा उसके आधार पर संस्थित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को भी निरस्त किया जाता है।

संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्र भी उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J